


न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर



II|निगरानी|रीवा|भू-क्र/2018/1282

1. सत्यनारायण तनय अवधेश प्रसाद,
2. रुकमनिया बेवा पत्नी अवधेश प्रसाद तिवारी,
दोनों निवासी ग्राम कन्देहली, तहसील सेमरिया, जिला—रीवा (म.प्र.)

..... निगरानीकर्तागण

बनाम

1. मेघनाथ तनय रामसजीवन,
2. सुभगिया बेवा पत्नी रामसजीवन,

दोनों निवासी ग्राम देवरी, तहसील सेमरिया, जिला—रीवा (म.प्र.)

..... गैर निगरानीकर्तागण

निगरानी विरुद्ध न्यायालय कलेक्टर, जिला रीवा
(म.प्र.) के राजस्व प्रक. क्र. 257 / अ-23 / अप्रैल /
2008-09, सत्य नारायण वगैरह बनाम मेघनाथ
वगैरह में पारित आदेश दिनांक 12 फरवरी, 2018

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 सहपठित धारा 32
मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता एवं धारा 151 व्यवहार
प्रक्रिया संहिता 1908 ईस्वीं।

मान्यवर,

निगरानी के संक्षिप्त तथ्य —

(46)

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुष्ठि आदेश प्रक्र

प्रकरण क्रमांक D/R/मीवन/भृत्य/18/1282,

सत्यनाशयजा | मेधनाथ

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
०८/०१/१९	<p>आवेदक की ओर से श्री <u>सतानान्द पाठडेय</u> अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी कलेक्टर जिला <u>दीता</u> के प्रकरण क्रमांक <u>२५७/ड-२३/०८-०९</u> में पारित आदेश दिनांक <u>१२/०२/१८</u> के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भूराजस्व संहिता में दिनांक २५-०९-२०१८ को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा ५० सहपठित संहिता की धारा ५४(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण आयुक्त संभाग <u>दीवा</u> के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। उभय पक्ष दिनांक <u>२३/०४/१९</u> को संभागीय आयुक्त <u>रीवा</u> के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों।</p> <p style="text-align: right;"><u>सदस्य</u></p> 